सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 941 राँची, बुधवार, 3 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 सितम्बर, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, राँची का पत्रांक-203(i)/स्था०, दिनांक 26 अगस्त, 2015 एवं पत्रांक-2260(ii)दिनांक 26 नवम्बर, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-8807, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015, पत्रांक-2229, दिनांक 11 मार्च, 2016, पत्रांक-6118, दिनांक 18 जुलाई, 2016, पत्रांक-7664, दिनांक 2 सितम्बर, 2016, पत्रांक-9805, दिनांक 21 नवम्बर, 2016, संकल्प सं०-1156, दिनांक 6 फरवरी, 2017, पत्रांक-9488, दिनांक 1 सितम्बर, 2017 एवं पत्रांक-3177, दिनांक 14 मई, 2018
3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-198, दिनांक 12 जुलाई, 2017
4. सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-1720, दिनांक 20 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-62/2015 का.- 7104-- श्री सुरजीत कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-832A/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-203(i)/स्था०, दिनांक 26 अगस्त, 2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप- श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा थाना नं०-298, मौजा-हेथु के खाता नं०-14, प्लाट नं०-1300, रकबा-0.72 एकड़ जो सरकार द्वारा बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू-अर्जन बाद सं०- 09/2008-09 से किया गया है, के वास्तविक हकदार को मुआवजा भुगतान किए जाने के दौरान अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आने पर इसकी जाँच अपर समाहर्त्ता, राँची से करायी गयी । अपर समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-2983(ii)दिनांक 31 जुलाई, 2015 के रूप में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा उक्त अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान में निम्नांकित अनियमितता बरती गयी है-

(1) थाना नं०- 298, खाता नं०-14, प्लाट नं०-1300, रकबा 0.24 एकड़ सरकार द्वारा अर्जित भूमि के मुआवजा का भुगतान श्री दीपक कुमार वर्मा, पिता-श्री छत्रधारी कुमार उर्फ छत्रधारी राम, मौजा हेथु को दिनांक 26 मार्च, 2015 को किया गया, जबकि उक्त अर्जित भूमि के मुआवजा के हकदार श्री दीपक कुमार वर्मा नहीं है ।

(2) तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2013 को श्री दीपक कुमार वर्मा के मुआवजा भुगतान आवेदन को निरस्त किए जाने पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं० W.P.(S) No.4366/2013 मुकेश कुमार उर्फ मुकेश रंजन बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया, जो मुआवजा भुगतान की तिथि को लंबित था । उक्त वाद में सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र को श्री सुरजित कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा श्री दीपक कुमार वर्मा को दिनांक 26 मार्च, 2015 को मुआवजा भुगतान के क्रम में नजर अन्दाज किया गया ।

(3) तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा तथ्यों की विवेचना के आधार पर श्री दीपक कुमार वर्मा एवं श्री मुकेश रंजन के मुआवजा भुगतान आवेदनों की सुनवाई के उपरांत श्रीमती निर्मला देवी एवं श्रीमती पवन रेखा देवी, श्री मुकेश कुमार की आपत्ति के आलोक में दिनांक 6 मार्च, 2013 को खारिज किया गया था । श्री सुरजित कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा उक्त कार्रवाई को जानबूझ कर संज्ञान में नहीं लिया गया एवं श्री दीपक कुमार वर्मा को मुआवजा का भुगतान किया गया ।

(4) श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा मुआवजा भुगतान के पूर्व संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन तथा मुआवजा के वास्तविक हकदार का सत्यापन संबंधित अंचल अधिकारी से जानबुझ कर नहीं कराया गया । मात्र जिला भू-अर्जन कार्यालय के अमीन/कानूनगों से अर्जित भूमि के मुआवजा के दावेदार के संबंध में जाँच कराकर औपचारिकता पूरी की गयी एवं उक्त मामला के विवादित रहने की बात से अवगत होने के बाद भी श्री दीपक कुमार वर्मा को मुआवजा का भुगतान किया गया ।

(5) श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा प्रश्नगत भूमि के मुआवजा भुगतान में सरकार के प्रयोजन के लिए रैयतो की अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान के

संदर्भ में विभागीय निदेश का अक्षरश: पालन नहीं किया एवं फर्जी हकदार श्री दीपक कुमार वर्मा को मुआवजा का भुगतान किया गया । श्री सिंह का उक्त कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं नियम विरूद्ध है, जो अनियमितता का द्योतक है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8807, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक-1399, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया ।

श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2229, दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी तथा अर्द्ध सरकारी पत्रांक-6118, दिनांक 18 जुलाई, 2016, पत्रांक-7664, दिनांक 8 अगस्त, 2016 एवं अर्द्ध सरकारी पत्रांक-9805, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 द्वारा स्मारित भी किया गया । उपायुक्त, राँची के पत्रांक-2260(ii)दिनांक 26 नवम्बर, 2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया ।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1156, दिनांक 6 फरवरी, 2017 द्वारा इनके विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-198, दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(viii) के तहत् इन्हें मूल कोटि (वेतनमान- PB-II, 9300-34800/-, Grade Pay 5400, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-9) में पदावनत करने तथा पदावनत की अवधि 7 (सात) वर्षों तक प्रभावी रखने हेतु विभागीय पत्रांक-9488, दिनांक 1 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री सिंह के पत्रांक-01, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया ।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि इन्हें अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B.-III,15600-39100/-ग्रेड पे० 7600) में प्रोन्नति प्रदान की गयी है, अतः उक्त प्रस्तावित दण्ड को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(viii) के तहत् पदावनति की शास्ति निम्न शर्तों के साथ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है-

(i) इनको अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B.-III,15600-39100/-ग्रेड पे० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-11) में पदावनत किया जायेगा ।

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B.-III,15600-39100/-ग्रेड पे० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में पदावनत अवधि 07 (सात) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका

प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियानुसार विचार किया जायेगा ।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में श्री सिंह की वरीयता अप्रभावित रहेगी ।

श्री सिंह के विरूद्ध पदावनति का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-3177, दिनांक 14 मई, 2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी, जिसके आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-1720, दिनांक 20 जुलाई, 2018 द्वारा सहमति प्रदान की गयी ।

अतः श्री सुरजीत कुमार सिंह, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति-जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(viii) के तहत् पदावनति की शारित निम्न शर्तों के साथ अधिरोपित किया जाता है:-

(i) इनको अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B.-III,15600-39100/-ग्रेड पे0 6600, पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-11) में पदावनत किया जायेगा ।

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B.-III,15600-39100/-ग्रेड पे० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में पदावनत अवधि 07 (सात) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियानुसार विचार किया जायेगा ।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में श्री सिंह की वरीयता अप्रभावित रहेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 941 -- 50